उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र सं0:– सी-07 / NSFDC / ऋण / 2024–25   दिनांक– 24/04/2024

समस्त वरिष्ठ / शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

प्रधान कार्यालय परिपत्र सं0–सी 35 / ऋण / एनएसएफडीसी / 2022–23 दिनांक 18.11.22 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा एनएसएफडीसी योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र व्यक्तियों को ऋण वितरण करने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। एनएसएफडीसी, नई दिल्ली ने पत्र सं0–NSFDC/Cdn/ दिनांक 27.10.2023 के द्वारा एनएसएफडीसी योजनान्तर्गत ऋणों की ब्याज दर, ऋण धनराशि तथा समयावधि में संशोधन किया है। जिसके क्रम में सारणी के अनुसार ब्याज दर, ऋण धनराशि तथा समयावधि निम्नवत् हैं:–

योजना का नाम	ऋण सीमा	अधिकतम ऋण धनराशि	लाभार्थी का हिस्सा (मार्जिन मनी)	ब्याज दर	समयावधि
सुविधा ऋण योजना (पूर्व नाम लघु व्यवसाय योजना)	रू0 5.00 लाख तक	रू0 4.50 लाख	10%	8%	5 वर्ष
शिक्षा ऋण	भारत में अध्ययन हेतु रू0 30.00 लाख तक या कोर्स फीस का 90% जो कम हो		10%	6% (पुरूष) 5.5% (महिला)	रू0 10.00 लाख तक 10 वर्ष एवं रू0 10.00 लाख से अधिक 12 वर्ष
	विदेश में अध्ययन हेतु रू0 40.00 लाख तक या कोर्स फीस का 90% जो कम हो			7% (पुरूष) 6.5% (महिला)	

तदनुसार, दिनांक 01.04.2024 से उक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते हैं। इस विशेष योजना में ऋण वितरण करते समय निम्न बिन्दुओं का पालन अवश्य किया जाए:–

1. केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा समय–समय पर अधिसूचित अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति होना चाहिए।
2. (I) पात्र लाभार्थियों की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रू0 3.00 लाख तक होनी चाहिए।

   (II) पात्र लाभार्थी का आय प्रमाण पत्र राजस्व विभाग के तहसील स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया मान्य होगा।
3. पात्र लाभार्थियों के के0वाई0सी नार्म्स् पूर्ण करते हुए परिपत्रों को वरिष्ठ / शाखा प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित कर ऋण पत्रावली में नत्थी किया जाये।
4. ऋण वितरण ऐसे उद्देश्यों में ही किया जाए, जिनमें वसूली मासिक / त्रैमासिक किश्तों के आधार पर सुनिश्चित हो सके।
5. इन विशेष योजना में वितरित ऋणों की वसूली यदि निर्धारित तिथि को किश्त / किश्तों की अदायगी ऋणी सदस्य द्वारा नही की जाती है अर्थात किश्त / किश्तें बकाया हो जाती है, तो बकाया किश्त / किश्तों पर निर्धारित तिथि से अदा करने की तिथि तक ब्याज 9.60 प्रतिशत की दर से वसूल किया जायेगा।

...2/-

6. शिक्षा ऋण योजना के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर ऋण स्वीकृत करने से पूर्व एनएसएफडीसी, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित संलग्न प्रारूप पर सूचना अंकित कर बैंक मुख्यालय प्रेषित की जायेगी। बैंक मुख्यालय से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही शिक्षा ऋण वितरण हेतु बैंक पोर्टल के माध्यम से ऋण धनराशि की माँग की जायेगी।

7. **एनएसएफडीसी योजनान्तर्गत पोर्टल पर धनमांग/अनुमोदन करते समय शाखा/वरिष्ठ/क्षेत्रीय/प्रबन्धकों का यह दायित्व होगा कि सम्बंधित शाखा के इस योजनान्तर्गत प्रारम्भ से वितरित किये ऋण खातों के 90% या अधिक खाते नियमित चल रहे हो, इसमें किसी प्रकार का विचलन पाये जाने पर सम्बंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।**

अतः योजना से सम्बंधित निर्गत परिपत्र सं0—सी 35/ऋण/एनएसएफडीसी/2022—23 दिनांक 18.11.22 के शेष नियम एवं शर्ते यथावत् रहेंगी।

संलग्नक—शिक्षा ऋण का प्रारूप।

(शशि रंजन कुमार राव)
प्रबन्ध निदेशक

<u>प्रतिलिपिः</u>— <u>निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवकश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—</u>

1. प्रबन्धक (आई0टी0 सेल) उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0 लखनऊ को इस निर्देश से कि उक्त परिपत्र को बैंक की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, को इस निर्देश से कि मण्डल की समस्त शाखाओं में इस योजना में ऋण वितरण हेतु कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
3. समस्त योजनाधिकारी/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
4. प्राचार्य, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
5. समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त शाखा प्रतिनिधि, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्बंधित शाखा प्रबन्धक।
7. मा0 सभापति, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
10. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश।
11. प्रमुख सचिव, सहकारिता, उत्तर प्रदेश।

प्रबन्ध निदेशक

National Scheduled Castes Finance & Development Corporation (NSFDC)

Format for submitting Proposal under Education Loan Scheme

Name of the SCA : UTTAR PRADESH SAHKARI GRAM VIKAS BANK LTD. LUCKNOW.

S. No.	Course Name	Course ending (month & Year)	No. of Student (Male)		No. of Student (Female)		Annual Family Income (Less than Rs. 1.50 lakh/More than Rs. 3.00 lakh)	Means of Finance					Total	Yearly Distribution (NSFDC Share)						
			Rural	Urban	Rural	Urban		NSFDC Share	Insurance Premium	Promoter's Contribution	MML by SCA	Subsidy		I year	II Year	III Year	IV Year	V Year	VI Year	Total
1																				
2																				

Yearly Distribution of NSFDC

S. No.	Year	Amount (Rs.)
1		
2		
3		

Certified that all the documents required i.e. Caste Cartificate, Income Certificate, Resident Certificate, Accreditation Staus of the Educational Institution/University and Course alongwith the undertaking from the applicants stating that she/he has not availed loans from any other sources against NSFDC share proposed for the course have been obtained. Further, Certificate from the Indian Embassy/Consulate on confirmation for abroad cases has been obtained. The documents obtained are kept on records for future inspection by NSFDC, if needed. The beneficiaries are dligible as per eligibility criteria under Education Loan Scheme of NSFDC.

Signature with Stamp
Branch Manager
Branch name & District